संख्या-118/2017/आर-2008/26-3-2017-4(358)/07टी.सी.3

प्रेषक,

सुनील कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 28 जुलाई, 2017

विषयः-शैक्षिक सत्र-2017-18 में दशमोत्तर कक्षाओं (कक्षा-11 व 12) के अन्तर्गत मास्टर डाटा बनाने एवं अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण हेतु संशोधित समय-सारिणी जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2343/स.क.शिक्षा-अ/3/6/2017-18 दिनांक-25.05.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-65/2017/1017/26-3-2017-4(358)/07टी.सी.।।।, दिनांक-27.04.2017 द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2017-18 हेतु निर्गत की गयी समय-सारिणी में कक्षा 11 व 12 में पढने वाले छात्र/छात्राओं हेतु (ग्रुप-1,2,3 व 4 को छोडकर) निम्नवत् संशोधित समय-सारिणी निर्गत की जाती हैः-

क्रं	कार्यवाही का स्तर	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की पूर्व समयावधि कक्षा 11-12 हेतु	कार्यवाही की संशोधित समयावधि कक्षा 11-12 हेतु
1	स्तर-1	प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर (अन्य प्रदेशों में) स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी/योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	01 जून 2017 से 15 जुलाई 2017 तक	01 जून 2017 से 31 जुलाई 2017 तक
2	स्तर-2	सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य अफलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं	16 जुलाई 2017 से 16 अगस्त 2017 तक।	01 अगस्त 2017 से 31 अगस्त 2017 तक।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को आनलाईन सत्यापित करना।		
3	स्तर-2	योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित संस्थानों हेतु) एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों की फीस का विवरण आनलाइन लाक किया जाना।	17 अगस्त 2017 से 31 अगस्त 2017 तक	01 सितम्बर 2017 से 17 सितम्बर 2017 तक
4	स्तर-3	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाईन आवेदन किया जाना	01 जुलाई से 28 सितम्बर 2017 तक	01 जुलाई से 15 अक्टूबर 2017 तक
5	स्तर-3	छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रृटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्टआउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
6	स्तर-4	आनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना	आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर, विलम्बतम 04 अक्टूबर, 2017 तक	आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर, विलम्बतम 22 अक्टूबर, 2017 तक
7	स्तर-4	शिक्षण संस्थान द्वारा आनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना	02 जुलाई से 14 अक्टूबर, 2017 तक	02 जुलाई से 01 नवम्बर, 2017 तक
8	स्तर-5	छात्र द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र के सम्मुख अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना।	15 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2017 तक	15 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2017 तक
9	स्तर-6	सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य अफलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु)	15 जुलाई से 16 अक्टूबर 2017 तक	01 अगस्त से 02 नवम्बर 2017 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी द्वारा वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाईन सत्यापित करना		
10	स्तर-7	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना। PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना	16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2017 तक	01 नवम्बर से 15 नवम्बर 2017 तक
11	स्तर-8	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना	20 नवम्बर 2017 तक	10 दिसम्बर 2017 तक
12	स्तर-8	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लाक किया जाना	10 दिसम्बर, 2017 तक	16 जनवरी 2018 तक
13	स्तर-9	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना।	01 से 10 नवम्बर 2017 तक	16 नवम्बर से 30 नवम्बर 2017 तक
14	स्तर-10	आनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर,विलम्बतम 13 नवम्बर 2017 तक	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम 04 दिसम्बर 2017 तक
15	स्तर-10	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र को शिक्षण संस्थान द्वारा आनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	01 नवम्बर से 16 नवम्बर, 2017 तक	16 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2017 तक
16	स्तर-11	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना	17 नवम्बर से 30 नवम्बर 2017 तक	05 दिसम्बर से 20 दिसम्बर 2017 तक
17	स्तर-12	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा से अलग शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना	05 दिसम्बर 2017 तक	31 दिसम्बर 2017 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

18	स्तर-12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लाक किया जाना	15 दिसम्बर, 2017 तक	10 जनवरी 2018 तक
19	स्तर-13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना	25 दिसम्बर 2017 तक	25 जनवरी 2018 तक
20	स्तर-14	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	10 जनवरी 2018 तक	12 फरवरी 2018 तक

2- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2017-18 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

सुनील कुमार श्रीवास्तव

विशेष सचिव

पृ0सं0-118/2017/आर-2008(1)/26-3-2017-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, वित्त, नियोजन, मा0शिक्षा,उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।

6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

7- कुल सचिव, अब्दुल कलाम, तकनीकी विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।

8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई योजना भवन, लखनऊ।

10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद

अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।